श्रीमती चन्द्रकला बनाम विकार अहमद वगैरा
दावा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-10-18	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/~~अन्य चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-10-18 को पेश हो। रीडर	
22-10-18	वादिया के वकील उपस्थित है। वादिया का दावा विभाजन स्कीम के अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

हुक्म की ता
में जारी

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2016	3.3.2016	22-10-2018

श्रीमती चन्द्रकलां पत्नि हरदयालसिंह जाति मीना निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
——वादिया

बनाम

1. विकार अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
2. मोहम्मद जाविद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान,उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
3. हारून अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
4. गयूर अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
5. अवजल अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
6. मुजाहिद अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
7. मु0जुवेदा खातून बेवा खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुर
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, विभाजन भूमि

उपस्थित :—श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, वादिया की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदेईकलां में आराजी ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 स्थित है जिसमें वादिया का 1/8 हिस्सा है। इस 1/8 हिस्से से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण का इस भूमि में 7/8 हिस्सा है। वादिया का ख0नं0 2917 में जो 1/8 हिस्सा है वह वादिया की खातेदारी की अन्य भूमि ख0नं0 2913 के लगवां है। वादिया ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वे वादिया के 1/8 हिस्से की भूमि का बंटवारा सहमति से तहसीलदार साहब के यहां चलकर करवा दें परन्तु वे हर बार टालमटोल करते रहे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 में से 1/8 हिस्से की वादिया खातेदार टीनेन्ट हैं तथा ख0नं0 2917 में से 1/8 हिस्से की भूमि जो वादिया की खातेदारी के खेत ख0नं0 2913 के लगवां है, के रिकार्ड में विभाजन कर अलग खाता कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में भी 1/8 हिस्से की तरमीम वादिया के हक में की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 7, 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, नकल नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प उदेईकलां पर दि0 29.5.2017 को रखी गई। उभयपक्षकारों को शिविर में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए

उप जिला कलेक्टर

गए। शिविर में वादिया श्रीमती चन्द्रकलां उपस्थित हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए।

वादिया श्रीमती चन्द्रकलां को सुना गया। वादिया ने विवादित भूमि में उसके 1/8 हिस्से का खाता अलग करने का निवेदन किया ।

वादिया का यह दावा 29.5.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 17.5.2018 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वादिया के वकील को सुना गया। वादिया के वकील ने विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया का वाद डिक्री कर वादिया के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है।

वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/8 हिस्सा है तदनुसार वादिया इस हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम पृथक से दर्ज कर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 ग्राम उदेईकलां में दर्ज वादिया के हिस्से 1/8 के अनुसार इस नम्बर में से भूमि 0.3625 है0 का वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 भूमि का विभाजन किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त भूमि में से 0.3625 है0 भूमि वादिया की खातेदारी में पृथक से दर्ज की जावे। इस नम्बर की शेष भूमि अन्य खातेदारों के नाम पूर्वानुसार दर्ज रहेगी। विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शाई गई भूमि का नक्शा ट्रेस में पृथक से नम्बर कायम किया जावे । राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम उपरोक्तानुसार भूमि पृथक से खातेदारी में दर्ज की जावे व पृथक से लगान कायम किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-10-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

श्रीमती चन्द्रकलां पत्नि हरदयालसिंह जाति मीना निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. विकार अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
2. मोहम्मद जाविद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान,उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
3. हारून अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
4. गफूर अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुरसिटी
5. अफजल अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
6. मुजाहिद अहमद पुत्र खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
7. मु0जुवेदा खातून बेवा खलील अजमद,मुसलमान, उदेईकलां तह. गंगापुर
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, विभाजन भूमि

मुकदमा नं. –21/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 ग्राम उदेईकलां में दर्ज वादिया के हिस्से 1/8 के अनुसार इस नम्बर में से भूमि 0.3625 है0 का वादिया को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए ख0नं0 2917 रकबा 2.90 है0 भूमि का विभाजन किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त भूमि में से 0.3625 है0 भूमि वादिया की खातेदारी में पृथक से दर्ज की जावे। इस नम्बर की शेष भूमि अन्य खातेदारों के नाम पूर्वानुसार दर्ज रहेगी। विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शाई गई भूमि का नक्शा ट्रेस में पृथक से नम्बर कायम किया जावे । राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम उपरोक्तानुसार भूमि पृथक से खातेदारी में दर्ज की जावे व पृथक से लगान कायम किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2018 को जारी किया गया ।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवा0)

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी